तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/8326/2006/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भैरू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री शांतिप्रकाश ओझा, उप0 राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांकः— 01.04.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 29–09–2006 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जमवारामगढ़ ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त भू–प्रबंध विभाग संवत् 2008 ग्राम जयचंदपुरा तहसील जमवारामगढ़ के मुताबिक आराजी खसरा संख्या 865/1 व 865/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री गोपालजी वाकै देह वहतमाम पुजारी महंत बसंतीदास चेला ललतादास कौम स्वामी सा0 जयपुर मंदिर ताला की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में लादू वल्द नैनू कौम जाट सा0देह का नाम दर्ज था। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 865 मीन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के नए नंबर 255 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बने तथा संवत् 2020 की खतौनी एकीकरण जमाबंदी में उक्त आराजी माफी मंदिर श्री गोपालजी के ही नाम दर्ज रही। किन्तु इसके पश्चात् की जमाबंदी में माफी मंदिर का नाम बिना किसी आधार व आदेश के विलोपित कर दिया गया तथा खातेदारी लादू पुत्र नानू के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 96 के आधार पर खातेदारी भैरू पुत्र लादू जाट की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। इस प्रकार उक्त माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मंदिर श्री गोपालजी वाकै देह मंदिर ताला के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2006 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/8326/2006/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भैरू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर गई। यह कार्यवाही अवैध एवं अनुचित है। काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 (4) व 46(1) में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षी के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर मूर्ति की भूमि को दर्ज किया गया है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, इसकी खातेदारी की भूमि अन्य के नाम नहीं हो सकती है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः माफी मंदिर श्री गोपालजी के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम जयचंदपुरा की खतौनी बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील जमवारामगढ़ की आराजी खसरा संख्या 865/1 व 865/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री गोपालजी वाकै देह वहतमाम पुजारी महंत बसंतीदास चेला ललतादास कौम स्वामी सा0जयपुर मंदिर ताला की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में लादू वल्द नैनू कौम जाट सा0देह का नाम दर्ज था। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा संख्या 865 मीन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के नए नंबर 255 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बने तथा संवत् 2020 की खतौनी एकीकरण जमाबंदी में उक्त आराजी माफी मंदिर श्री गोपालजी के ही नाम दर्ज रही। किन्तु इसके पश्चात् की जमाबंदी में माफी मंदिर का नाम बिना किसी आधार व आदेश के विलोपित कर दिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/8326/2006/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भैरू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया तथा खातेदारी लादू पुत्र नानू के फौत होने पर विरासत नामांतकरण संख्या 96 के आधार पर खातेदारी भैरू पुत्र लादू जाट की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि राजस्व जमाबंदी अभिलेख संवत् 2008 अनुसार विवादग्रस्त आराजी का माफी मंदिर श्री गोपालजी की खातेदारी में दर्ज होना तथा कृषक के कॉलम में लादू वल्द नैनू कौम जाट सा0देह का नाम होना स्पष्ट है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री गोपालजी वाकै देह मंदिर ताला की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 29.09.2006 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम जयचंदपुरा की वर्तमान आराजी खसरा संख्या 255 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर अप्रार्थी की दी गई खातेदारी/पर अप्रार्थी के नाम दर्ज किए समस्त इन्द्राजों तथा नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः माफी मंदिर श्री गोपालजी वाकै देह मंदिर ताला की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	